Chapter. 2

# अध्याय 2

# कंप्यूटर और राजभाषा


**2.1 राजभाषा का परिचय**

2.1.1 राजभाषा की परिभाषा

2.1.2 राजभाषा की आवश्यकता

2.1.3 राजभाषा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

2.1.4 हिंदी की अपरिहार्यता

2.1.5 भाषा के विभिन्न रूप

2.1.6 राजभाषा संबंधी सांविधिक धाराएँ तथा अधिनियम /नियम

(क) भारत का संविधान, राजभाषा संबंधी प्रावधान (भाग 5,6,17)

(ख) राजभाषा अधिनियम,1963 (यथासंशोधित 1967)

(ग) राजभाषा नियम,1976 (यथासंशोधित 1987)

**2.2 राजभाषा संबंधी दायित्वों के निर्वाह में सहायक कंप्यूटर**

**2.3 हिंदी कंप्यूटर संबंधी सांविधिक व्यवस्था**

**2.4 अध्याय 2 की संदर्भ सूची**

# कंप्यूटर और राजभाषा

## 2.1 राजभाषा का परिचय

कंप्यूटर के स्वदेशीकरण की दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका राजभाषा ने निभाई है। राजभाषा के रूप में सुशोभित हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। तत्पश्चात राज-काज की भाषा के रूप में सर्वत्र व्यवहार में लाए जाने के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए तथा तत्संबंधी व्यवस्थाएँ की गईं। कंप्यूटर से राजभाषा को जोड़ना भी इसी की एक कड़ी है। कंप्यूटर के हिंदीकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों में इन प्रावधानों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है।

### 2.1.1 राजभाषा की परिभाषा

राजभाषा हिंदी में काम करने के लिए संविधान के भाग 5, भाग 6 (210) तथा भाग 17 को "राजभाषा" शीर्षक से अभिहित किया गया है। राजकाज के प्रयोजन से प्रयुक्त भाषा राजभाषा होती है। विद्यानिवास मिश्र के अनुसार "राजभाषा कोई दूसरी भाषा नहीं है, हिंदी की ही एक प्रयुक्ति है।"[1]

### 2.1.2 राजभाषा की आवश्यकता

जनतंत्र की व्यवस्था की भाषा वही होनी चाहिए जो उसके प्रयोग में आती हो और जिससे उसका व्यवस्था पर विश्वास हो सके। यदि वह फारसी या अँग्रेजी की तरह अजनबी हुई तो फिर शासन और साधारण नागरिक के बीच की दूरी ज्यों की त्यों बनी रहेगी। इस दूरी को पाटने के लिए ही हिंदी और हिंदी की प्रयुक्ति का वह रूप, जो अधिक से अधिक लोगों के लिए ग्राह्य है, व्यवस्था की भाषा बने - यह भारतीय संघ के संविधान में स्वीकृत हुआ।[2]

भाषा का प्रश्न भी राष्ट्रीय प्रश्न था क्योंकि देश के एक कोने से दूसरे कोने तक राष्ट्रीय विचारों को प्रवहमान करने के लिए एक ऐसी भाषा की आवश्यकता जान पड़ी जो आम फहम हो। इसलिए राजभाषा का महत्व और भी बढ़ गया।[3]

### 2.1.3 राजभाषा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

राजकाज चलाने के लिए किसी-न-किसी भाषा की आवश्यकता पड़ती है। अशोक की राजाज्ञाएँ उस काल की पालि भाषा में साम्राज्य के अनेक केंद्रों से प्राप्त हुई हैं। इनसे आगे-पीछे संस्कृत का प्रयोग होता रहा। शिलालेखों, ताम्रपत्रों और दानपत्रों से इसके प्रमाण मिलते हैं। राजस्थान में 11वीं से 15वीं शताब्दी के अनेक पुरालेख प्राप्त हुए हैं जो कुछ तो शुद्ध संस्कृत में, कुछ अशुद्ध संस्कृत में और कुछ राजस्थानी-मिश्रित संस्कृत में हैं। मुसलमान बादशाहों के शासन-काल में चार-पाँच शताब्दी तक शासन-कार्य का माध्यम हिंदी थी। इस्लामी राज्य के आरंभ से लेकर अकबर के शासन-काल के मध्य तक सभी कागजात हिंदी में रखे जाते थे। अकबर के गृहमंत्री राज टोडरमल के आदेश से सरकारी कागजात फ़ारसी में लिखे जाने लगे। सरकारी नौकरों और नौकरी पाने के इच्छुक नवयुवकों ने

फ़ारसी सीखी। इस प्रकार एक मुंशी-वर्ग तैयार हुआ जिसने तीन सौ वर्ष सरकार और फ़ारसी की सेवा की। सन् 1833 में लार्ड मैकाले ने अँग्रेजी को प्रतिष्ठित करने की योजना तैयार की।[4]

अँग्रेजों की बढती सुरसा समान राजनीतिक शक्ति अपने शासन को व्यवस्थित करने में प्रयत्नशील हुई।[5]

कंपनी की भाषा अँग्रेजी होते हुए भी इंग्लैंड से भेजे जाने वाले अधिकारियों को हिंदी पढना और उसकी परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य कर दिया था और प्रांतीय भाषाओं को साथ लेकर हिंदी निखरने लगी थी।[6]

लोकभाषा सरकारी कामकाज की टकसाल में ढलने लगी थी और नागरी लिपि कामकाज से बढती-बढती सिक्कों और स्टॉपों पर आने लगी। जनमत ने हिंदी की व्यापकता के प्रति सरकार को सजग किया तो हिंदी का प्रयोग अनुवाद रूप में अँग्रेजी के साथ-साथ राजकाज में भी बढा। सरकारी पत्रों के आदान-प्रदान में तथा सिविल अधिकारियों को हिंदी में प्रशिक्षित करने की व्यवस्था भारत और इंग्लैंड में विद्यमान थी।[7]

हिंदी तत्कालीन परिस्थितियों में प्रकाशनों के माध्यम से राष्ट्र संबंधी विचारों के साथ आगे बढती रही। यह काल था राष्ट्रभाषा हिंदी का आरंभिक काल। जिस प्रकार आज की खडी बोली आज से शताब्दियों पूर्व बिना नाम और ज्ञान के साहित्य सेवा करती रही, लेकिन उसका नामकरण संस्कार बाद में हुआ उसी प्रकार आज की संवैधानिक हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में वर्षों से पनपती रही, मगर नामकरण बाद में हुआ।[8]

### 2.1.4 हिंदी की अपरिहार्यता (हिंदी ही क्यों ?)

राजनीतिक राष्ट्रीयता के विकास के साथ राष्ट्रभाषा की कल्पना राष्ट्रीय एकता के प्रतीकों के रूप में पल्लवित होने लगी। राष्ट्रीय सम्मान की दृष्टि से राष्ट्रभाषा की आवश्यकता का अनुभव किया जाने लगा। भिन्न भाषा-भाषी राष्ट्र के सदस्यों के भावों के आदान-प्रदान के लिए एक भाषा की परिकल्पना मूर्त रूप धारण करने लगी। यह नहीं, भावनात्मक एकता के लिए भाषा की एकता का विचार पुष्ट हुआ और तब हिंदी अपनी सार्वभौमिकता, व्यापकता, सरलता और सर्वप्रियता के कारण राष्ट्रभाषा के रूप में ग्रहण की गई। अँग्रेजी के सरकारी क्षेत्र में व्यापक प्रयोग की तुलना में हिंदी को राष्ट्रभाषा जाना-माना गया। अँग्रेजी शासन का विरोध अपेक्षा रखता था कि उससे संबद्ध सभी वस्तुओं का विरोध हो। विदेशी भाषा का प्रभाव केवल मात्र शासन तक ही सीमित न रहा। जब वह संस्कृति को ग्रसने लगा तब राष्ट्रीय नेताओं ने राष्ट्रीयता को शक्ति प्रदान करने के उद्देश्य से हिंदी को ही राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने का विचार किया।[9]

हिंदी भाषा के संदर्भ में राष्ट्रभाषा का पर्याय स्वाधीनता संघर्ष की देन है।[10]

राष्ट्रीयता के विकास के साथ-ही-साथ राष्ट्र-गान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय पक्षी आदि को मान्यता मिली और राष्ट्रीय एकता के नाम पर राष्ट्रभाषा नाम मिला।[11]

हिंदी राजनीति, व्यवसाय, धर्म, राजकाज के संपर्क कार्य में संपर्क भाषा के रूप में पनप रही थी।[12]

हिंदी का, राष्ट्रभाषा का यह स्वरूप विषय चयन समिति के विचार-विमर्श-मंथन से निकले सर्वसम्मत रूपी नवनीत के रूप में स्निग्ध था।[13]

## 2.1.5 भाषा के विभिन्न रूप

"जो भाषा माता की गोद में स्वाभाविक रूप में सीखी जाती है, वह **मातृभाषा** है। किसी क्षेत्र का सामान्य व्यक्ति प्रचलित शैली में जो बोलता है वह **जनभाषा** है। जरूरी नहीं कि जनभाषा शुद्ध साहित्यिक रूप वाली ही हो या वह कड़े व्याकरण के नियम से बँधी हो। एक ही भाषा की अनेक बोलियाँ भी होती हैं जिनका रूप थोड़ी-थोड़ी दूर पर बदलता भी दिखाई पड सकता है। लेकिन बोलियों के ये भिन्न रूप अलग-अलग भाषाएँ नहीं माने जा सकते। **प्रादेशिक** भाषा वह है जो कुछ गाँवों की या छोटे से भूभाग की नहीं, एक विस्तृत क्षेत्र या भूभाग (या जिस प्रदेश कहें) की भाषा है। जिस देश में अनेक प्रदेश हों और वहाँ कई भाषाएँ हों, उन्हें एक दूसरे से संपर्क के लिए **"संपर्क भाषा"** की आवश्यकता पड़ती है। देश के एक भाग के निवासी जब अपने देश के अन्य भागों के लोगों से मिलें, उनसे कारोबार करें, तब जिस भाषा के माध्यम से वे अपने विचारों का आदान-प्रदान करते रहे हैं, वह उस देश की **राष्ट्रभाषा** कही जाती है। **राजभाषा** वह है जिसे सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में प्रयोग करने का निश्चय किया जाए।[14]

मातृभाषा या जनभाषा का निर्णय राजाज्ञा से नहीं होता जबकि शासन के कामकाज की भाषा (राजभाषा) का निर्णय संविधान, अधिनियम, नियम, आदेशों के द्वारा होता है। संपर्क भाषा दीर्घकालीन सामाजिक कार्य-व्यवहार से विकसित होती है किंतु उस पर राजभाषा का भी प्रभाव पड़ता है।

आवश्यक नहीं कि मातृभाषा राजभाषा ही हो। विभिन्न प्रदेशों की राजभाषाएँ भिन्न-भिन्न भी हो सकती हैं, जैसा कि भारत में है।[15]

हिंदी प्रादेशिक भाषा भी है और कई राज्यों ने संविधान के अनुच्छेद 345 के अंतर्गत, उसे राज्य की राजभाषा बनाया है। जहाँ तक राजभाषा का प्रश्न है, मुगलकाल में, मराठों के शासन काल में तथा अँग्रेजों के राज्य में भी अनेक प्रकार के सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग होता था। अतः यदि भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को कुछ राज्यों की तथा संघ की भी राजभाषा बनाया गया तो वह हिंदी के लिए कोई नई बात नहीं हुई। हिंदी राष्ट्रभाषा पहले भी थी तथा अब भी है, राजभाषा बनने से उसके प्रयोग का क्षेत्र और विस्तृत हुआ है, किसी भाँति कम नहीं हुआ।[16]

उत्तरदायित्व पहले की अपेक्षा बढ़ गया है।[17]

संविधान के भाग- 17 का शीर्षक है "राजभाषा"। इसका अध्याय 1 `संघ की भाषा' के विषय में है। इसके अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा का उल्लेख है और अनुच्छेद

344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति के बारे में है। अध्याय 2 का शीर्षक है : 'प्रादेशिक भाषाएँ, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 345 ' राज्य की राजभाषा या राजभाषाएँ' संबंधी है, अनुच्छेद 346 ' एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा विषयक है।[18]

"राजभाषा आयोग की सिफारिश पर जो वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग बना, उसने शब्दावली इस प्रकार तैयार की है कि वह केवल हिंदी भाषा के लिए ही काम न आए उसका प्रयोग सामान्यतः अन्य भाषाओं में भी हो सके।"[19]

### 2.1.6 <u>राजभाषा संबंधी सांविधिक धाराएँ तथा अधिनियम /नियम</u>

### 2.1.6(क) <u>भारत का संविधान,राजभाषा संबंधी प्रावधान</u>

**भाग - 5**

**अध्याय 2**

**120. संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा :** (I) भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद में कार्य हिंदी में या अँग्रेजी में किया जाएगा :

परंतु यथास्थिति, राज्यसभा का सभापति या लोक सभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो हिंदी में या अँग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृ-भाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(2) जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो "या अँग्रेजी में" शब्दों का उसमें लोप कर दिया गया हो।

**भाग - 6**

**अध्याय 3**

**210. विधान-मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा :** (1) भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधान-मंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अँग्रेजी में किया जाएगा :

परंतु, यथास्थिति, विधान सभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो पूर्वोक्त भाषाओं में से किसी भाषा में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृ-भाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(2) जब तक राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो "या अँग्रेजी में" शब्दों का उसमें लोप कर दिया गया हो :
[परंतु (हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के विधान-मंडलों) के संबंध में, यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले "पंद्रह वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पच्चीस वर्ष" शब्द रख दिए गए हों :]
[परंतु यह और कि (अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम राज्यों के विधान-मंडलों) के संबंध में यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले "पंद्रह वर्ष" शब्दों के स्थान पर " चालीस वर्ष" शब्द रख दिए गए हों।]

## भाग - 17
## राजभाषा
### अध्याय 1 - संघ की भाषा

**343. संघ की राजभाषा** (1) संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी।
संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा।

(2) खंड(1) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि तक संघ के सभी शासकीय प्रयोजनों के लिएं अँग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था :
परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, आदेश द्वारा, संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अँग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

(3) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद उक्त पंद्रह वर्ष की अवधि के पश्चात्, विधि द्वारा (क) अँग्रेजी भाषा का, या
(ख) अंकों के देवनागरी रूप का,
ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

**344. राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति** (1) राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारंभ से पाँच वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात् ऐसे प्रारंभ से दस वर्ष की समाप्ति पर, आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करे और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी :
(2) आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को -
(क) संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग,
(ख) संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अँग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधनों,

(ग) अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा,

(घ) संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप

(ङ) संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय, के बारे में सिफारिश करें।

(3) खंड(2) के अधीन अपनी सिफारिशें करने में, आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषा क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्यायसंगत दावों और हितों का सम्यक् ध्यान रखेगा।

(4) एक समिति गठित की जाएगी जो तीस सदस्यों से मिलकर बनेगी जिनमें से बीस लोक सभा के सदस्य होंगे और दस राज्य सभा के सदस्य होंगे जो क्रमशः लोक सभा सदस्यों और राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।

(5) समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह खंड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करें और राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दें।

(6) अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति खंड (5) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् उस संपूर्ण प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश दे सकेगा।

## अध्याय 2 - प्रादेशिक भाषाएँ

**345. राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं** - अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा :

परंतु जब तक राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, अन्यथा उपबंध न करें तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अँग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था।

**346. एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा** - संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा होगी :

परंतु यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा हिंदी भाषा होगी तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा।

**347. किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध** - यदि इस निमित्त मांग किए जाने पर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है

कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए, जो वह विनिर्दिष्ट करे, शासकीय मान्यता दी जाए।

## अध्याय - 3 उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा

**348. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा** - (1) इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक -

(क) उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अँग्रेजी भाषा में होंगी,

(ख) (i) संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन पुर:स्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके संशोधनों के,

(ii) संसद या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों के और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों के, और

(iii) इस संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले गए या बनाए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के, प्राधिकृत पाठ अँग्रेजी भाषा में होंगे :

(2) खंड (1) के उपखंड (क) में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिंदी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा :

परंतु इस खंड की कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश को लागू नहीं होगी।

(3) खंड (1) के उपखंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ किसी राज्य के विधान-मंडल ने, उस विधान-मंडल में पुर:स्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड के पैरा (iii) में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अँग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहां उस राज्य के राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अँग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अँग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

**349. भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया** - इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि के दौरान, अनुच्छेद 348 के खंड (1) में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पुर:स्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा और राष्ट्रपति किसी ऐसे विधेयक को पुर:स्थापित या किसी ऐसे संशोधन को प्रस्तावित किए जाने की मंजूरी अनुच्छेद 344 के खंड (1) के अधीन

गठित आयोग की सिफारिशों पर और उस अनुच्छेद के खंड (4) के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् ही देगा, अन्यथा नहीं।

**अध्याय 4 - विशेष निदेश**

**350. व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा** - प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, यथास्थिति, संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन का हकदार होगा।

[**350 (क) प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं** - प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है।

**350 (ख) भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए विशेष अधिकारी** -

(1) भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा।

(2) विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन विषयों के संबंध में ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा।]

**351. हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश** - संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।[20]

## 2.1.6(ख) राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथासंशोधित, 1967)

### (1963 का अधिनियम संख्यांक 19)

**उन भाषाओं का, जो संघ के राजकीय प्रयोजनों, संसद में कार्य के संव्यवहार, केंद्रीय और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों में कतिपय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जा सकेंगी, उपबंध करने के लिए अधिनियम**

भारत गणराज्य के चौदहवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** -(1)यह अधिनियम राजभाषा अधिनियम,1963 कहा जा सकेगा।

(2) धारा 3, जनवरी, 1965 के 26वें दिन को प्रवृत्त होगी और इस अधिनियम के शेष उपबंध उस तारीख[1] को प्रवृत्त होंगे जिसे केंद्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना

द्वारा नियत करें और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

**2. परिभाषाएँ** - इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "नियत दिन" से, धारा 3 के संबंध में, जनवरी 1965 का 26वाँ दिन अभिप्रेत है और इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के संबंध में वह दिन अभिप्रेत है जिस दिन को वह उपबंध प्रवृत्त होता है ;

(ख) "हिंदी" से वह हिंदी अभिप्रेत है जिसकी लिपि देवनागरी है।

[2][**3. संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए और संसद में प्रयोग के लिए अँग्रेजी भाषा का रहना** -

(1) संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की कालावधि की समाप्ति हो जाने पर भी, हिंदी के अतिरिक्त अँग्रेजी भाषा, नियत दिन से ही-

(क) संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए जिनके लिए वह उस दिन से ठीक पहले प्रयोग में लाई जाती थी: तथा

(ख) संसद मे कार्य के संव्यवहार के लिए ; प्रयोग में लाई जाती रह सकेगी :

परंतु संघ और किसी ऐसे राज्य के बीच, जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अँग्रेजी भाषा प्रयोग में लाई जाएगी :

परंतु यह और है कि जहाँ किसी ऐसे राज्य के, जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है और किसी अन्य राज्य के जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, बीच पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिंदी को प्रयोग में लाया जाता है, वहां हिंदी में ऐसे पत्रादि के साथ-साथ उसका अनुवाद अँग्रेजी भाषा में भेजा जाएगा :

परंतु यह और भी कि इस उपधारा की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे राज्य को, जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संघ के साथ या किसी ऐसे राज्य के साथ जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है, या किसी अन्य राज्य के साथ, उसकी सहमति से, पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिंदी को प्रयोग में लाने से निवारित करती हैं, और ऐसे किसी मामले में उस राज्य के साथ पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अँग्रेजी भाषा का प्रयोग बाध्यकर न होगा।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहाँ पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिंदी या अँग्रेजी

भाषा -

(i) केंद्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के और दूसरे मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के बीच ;

(ii) केंद्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के और केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कंपनी या उनके किसी कार्यालय के बीच;

(iii) केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कंपनी या उसके किसी कार्यालय के और किसी अन्य ऐसे निगम या कंपनी या कार्यालय के बीच; प्रयोग में लाई जाती है वहाँ उस तारीख तक, जब तक पूर्वोक्त संबंधित मंत्रालय, विभाग, कार्यालय या विभाग या कंपनी का कर्मचारीवृंद हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता ऐसे पत्रादि का अनुवाद यथास्थिति अँग्रेजी भाषा या हिंदी में भी दिया जाएगा।

(3) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों ही-
(i) संकल्पों, साधारण आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदनों या प्रेस विज्ञप्तियों के लिए, जो केंद्रीय सरकार द्वारा या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कंपनी द्वारा या ऐसे निगम या कंपनी के किसी कार्यालय द्वारा निकाले जाते है या किए जाते हैं,
(ii) संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे गए प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदनों और राजकीय कागज-पत्रों के लिए,
(iii) केंद्रीय सरकार या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या उसकी ओर से या केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कंपनी द्वारा या ऐसे निगम या कंपनी के किसी कार्यालय द्वारा निष्पादित संविदाओं और करारों के लिए तथा निकाली गई अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञपत्रों, सूचनाओं और निविदा-प्ररूपों के लिए, प्रयोग में लाई जाएगी।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह है कि केंद्रीय सरकार धारा 8 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उस भाषा या उन भाषाओं का उपबंध कर सकेगी जिसे या जिन्हें संघ के राजकीय प्रयोजन के लिए, जिसके अंतर्गत किसी मंत्रालय, विभाग, अनुभाग या कार्यालय का कार्यकरण है; प्रयोग में लाया जाना है और ऐसे नियम बनाने में राजकीय कार्य के शीघ्रता और दक्षता के साथ निपटारे का तथा जनसाधारण के हितों का सम्यक ध्यान रखा जाएगा और इस प्रकार बनाए गए नियम विशिष्टतया यह सुनिश्चित करेंगे कि जो व्यक्ति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा कर रहे हैं और जो या तो हिंदी में या अँग्रेजी भाषा में प्रवीण है वे प्रभावी रूप से अपना काम कर सकें और यह भी कि केवल इस आधार पर कि वे दोनों ही भाषाओं में प्रवीण नहीं है उनका कोई अहित नहीं होता है।

(5) उपधारा (1) के खंड (क) के उपबंध और उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4), के उपबंध तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक उनमें वर्णित प्रयोजनों के लिए अँग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त कर देने के लिए ऐसे सभी राज्यों के विधान मंडलों द्वारा, जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संकल्प पारित नहीं कर दिए जाते और तब तक पूर्वोक्त संकल्पों पर विचार कर लेने के पश्चात ऐसी समाप्ति के लिए संसद के हर एक सदन द्वारा संकल्प पारित नहीं कर दिया जाता।

**4. राजभाषा के संबंध में समिति** - (1) जिस तारीख को धारा 3 प्रवृत्त होती है उससे दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात् राजभाषा के संबंध में एक समिति, इस विषय का संकल्प संसद

के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से प्रस्तावित और दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने पर, गठित की जाएगी।

(2) इस समिति में तीस सदस्य होंगे जिनमें से बीस लोकसभा के सदस्य होंगे तथा दस राज्य सभा के सदस्य होंगे, जो क्रमशः लोकसभा के सदस्यों तथा राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।

(3) इस समिति का कर्तव्य होगा कि वह संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करें और उस पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन करें और राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को संसद के हर एक सदन के समक्ष रखवाएगा और सभी राज्य सरकारों को भिजवाएगा।

(4) राष्ट्रपति उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर और उस पर राज्य सरकारों ने यदि कोई मत अभिव्यक्त किए हों तो उन पर विचार करने के पश्चात् उस समस्त प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश निकाल सकेगा :

[3][परंतु इस प्रकार निकाले गए, निदेश धारा 3 के उपबंधों से असंगत नहीं होंगे]

**5. केंद्रीय अधिनियम आदि का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद** - (1) नियत दिन को और उसके पश्चात शासकीय राजपत्र में राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित -

(क) किसी केंद्रीय अधिनियम का या राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी अध्यादेश का, अथवा

(ख) संविधान के अधीन या किसी केंद्रीय अधिनियम के अधीन निकाले गए किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि का हिंदी में अनुवाद उसका हिंदी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(2) नियत दिन से ही उन सब विधेयकों के, जो संसद के किसी भी सदन में पुरःस्थापित किए जाने हों और उन सब संशोधनों के, जो उनके संबंध में संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जाने हों, अँग्रेजी भाषा के प्राधिकृत पाठ के साथ-साथ उसका हिंदी में अनुवाद भी होगा जो ऐसी रीति से प्राधिकृत किया जाएगा, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए।

**6. कतिपय दशाओं में राज्य अधिनियमों का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद** - जहां किसी राज्य के विधान मंडल ने उस राज्य के विधान मंडल द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में प्रयोग के लिए हिंदी से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहाँ संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) द्वारा अपेक्षित अँग्रेजी भाषा के उसके अनुवाद में अतिरिक्त, उसका हिंदी में अनुवाद उस राज्य के शासकीय राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से नियत दिन को या उसके पश्चात प्रकाशित किया जा सकेगा और ऐसी दशा में किसी अधिनियम या अध्यादेश का हिंदी में अनुवाद हिंदी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

**7. उच्च न्यायालयों के निर्णयों आदि में हिंदी या अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग** - नियत दिन से ही या तत्पश्चात किसी भी दिन से किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से अँग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग, उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के

प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और जहाँ कोई निर्णय, डिक्री या आदेश (अँग्रेजी भाषा से भिन्न) ऐसी किसी भाषा में पारित किया या दिया जाता है वहाँ उसके साथ-साथ उच्च न्यायालय के प्राधिकार से निकाला गया अँग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी होगा।

8. **नियम बनाने की शक्ति** - (1) केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।
(2) इस धारा के अधीन बनाया गया हर नियम, बनाए जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र, संसद के हर एक सदन के समक्ष, उस समय जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर तीस दिन की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो समवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के, जिसमें वह ऐसे रखा हो, या ठीक पश्चातवर्ती सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई उपांतर करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् यथास्थिति, वह नियम ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावशाली होगा या उसका कोई भी प्रभाव न होगा, किंतु इस प्रकार कि ऐसा कोई उपांतर या बातिलकरण उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले बिना होगा।

9. **कतिपय उपबंधों का जम्मू-कश्मीर को लागू न होना** - धारा 6 और 7 के उपबंध जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू न होंगे।

---

[1]तारीख 10 जनवरी, 1965 की धारा 5(1) प्रवृत्त हुई,
**देखिए** भारत का राजपत्र, अँग्रेजी भाग 2, अनुभाग 3(ii), पृष्ठ 128 पर प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक का.आ. 94, तारीख 4 जनवरी, 1965, तारीख 19 मई, 1969 की धारा 6 प्रवृत्त हुई,
**देखिए** भारत का राजपत्र (अँग्रेजी) भाग 2 अनुभाग 3 (ii) पृष्ठ 2024 पर प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक का.आ.1945, तारीख 14 मई, 1969 तारीख 19 मई, 1969 को धारा 6 प्रवृत्त हुई,
**देखिए** भारत का राजपत्र अँग्रेजी भाग 2, अनुभाग 3(ii) पृष्ठ 2024 पर प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक का.आ.1945, तारीख 14 मई, 1969 तारीख 7 मार्च, 1970 को धारा 7 प्रवृत्त हुई,
**देखिए** भारत का राजपत्र, अँग्रेजी भाग 2, अनुभाग 3(ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्याक का.आ.841, तारीख 26 फरवरी, 1970 । धारा 5(2) तारीख 1 अक्टूबर, 1976 को प्रवृत्त हुई,
**देखिए** भारत का राजपत्र, अँग्रेजी भाग 2, अनुभाग 3(ii) पृष्ठ 1901 पर प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक का.आ.655 (ई) तारीख 5 अक्टूबर, 1976।
[2]1968 के अधिनियम संख्यांक 1 की धारा 2 द्वारा धारा 3 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[3]1968 के अधिनियम संख्यांक 1 की धारा 3 द्वारा अन्त:स्थापित।

---

## 2.1.6(ग) राजभाषा नियम (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग), 1976 (यथा संशोधित, 1987) *

**सा.का.नि.1052** - राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

**1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 है।

(2) इनका विस्तार, तमिलनाडु राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है।

(3) ये राजपत्र में प्रकाशित की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. परिभाषाएं** - इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

क) "अधिनियम" से राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) अभिप्रेत है।

ख) "केंद्रीय सरकार के कार्यालय" के अंतर्गत निम्नलिखित भी है, अर्थात् :-

(i) केंद्रीय सरकार का कोई मंत्रालय, विभाग या कार्यालय

(ii) केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी आयोग, समिति या अधिकरण का कोई कार्यालय : और

(iii) केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण के अधीन किसी निगम या कंपनी का कोई कार्यालय :

(ग) "कर्मचारी" से केंद्रीय सरकार के कार्यालय में नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(घ) "अधिसूचित कार्यालय" से नियम 10 के उपनियम (4) के अधीन अधिसूचित कार्यालय अभिप्रेत है ;

(ङ) "हिंदी में प्रवीणता" से नियम 9 में वर्णित प्रवीणता अभिप्रेत है ;

** (च) "क्षेत्र क" से बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है :

**(छ) "क्षेत्र ख" से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य और चंडीगढ संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है :

(ज) "क्षेत्र ग" से खंड (च) और (छ) में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है :

(झ) "हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान" से नियम 10 में वर्णित कार्यसाधक ज्ञान अभिप्रेत है :

**3. राज्यों आदि और केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों के साथ पत्रादि** -

(1) केंद्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र "क" में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि असाधारण दशाओं को छोड़कर हिंदी में होंगे और यदि उनमें से किसी को कोई पत्रादि अँग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा।

(2) केंद्रीय सरकार के कार्यालय से -

(क) क्षेत्र "ख" में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय न हो) को पत्रादि सामान्यतया हिंदी में होंगे और यदि कोई पत्रादि अँग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा :

परंतु यदि कोई ऐसा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र यह चाहता है कि किसी विशिष्ट वर्ग या प्रवर्ग के पत्रादि या उसके किसी कार्यालय के लिए आशयित पत्रादि संबद्ध राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि तक अँग्रेजी या हिंदी में भेजे जाएं और उसके साथ दूसरी भाषा में उसका अनुवाद भी भेजा जाए तो ऐसे पत्रादि उसी रीति से भेजे जाएंगे।

(ख) क्षेत्र "ख" के किसी राज्य या संघ क्षेत्र में किसी व्यक्ति को पत्रादि हिंदी या अँग्रेजी में भेजे जा सकते हैं।

(3) केंद्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र "ग" में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि अँग्रेजी में होंगे।

(4) उपनियम (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, क्षेत्र "ग" में केंद्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र "क" या "ख" में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (केंद्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि हिंदी या अँग्रेजी में हो सकते हैं :

परंतु हिंदी में पत्रादि ऐसे अनुपात में होंगे जो केंद्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिंदी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करें।

**4. केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि** -

(क) केंद्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग और किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्रादि हिंदी या अँग्रेजी मे हो सकते हैं ;

(ख) केंद्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और क्षेत्र "क" में स्थित संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी में होंगे और ऐसे अनुपात में होंगे जो केंद्रीय सरकार, ऐसे कार्यालयों में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिंदी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे संबंधित आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करें :

(ग) क्षेत्र "क" में स्थित केंद्रीय सरकार के ऐसे कार्यालयों के बीच, जो खंड (क) या खंड (ख) में विनिर्दिष्ट कार्यालयों से भिन्न है, पत्रादि हिंदी में होंगे।

(घ) क्षेत्र "क" में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों और क्षेत्र "ख" या "ग" में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी या अँग्रेजी में हो सकते हैं :

परंतु ये पत्रादि हिंदी में ऐसे अनुपात में होंगे जो केंद्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिंदी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे संबंधित आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करे।

(ङ) क्षेत्र "ख" या "ग" में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी या अँग्रेजी में हो सकते हैं :

परंतु ये पत्रादि हिंदी में ऐसे अनुपात में होंगे जो केंद्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिंदी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे संबंधित आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करे।

परंतु जहाँ ऐसे पत्रादि -

(i) क्षेत्र "क" या क्षेत्र "ख" किसी कार्यालय को संबोधित है वहाँ यदि आवश्यक हो तो, उनका दूसरी भाषा में अनुवाद पत्रादि प्राप्त करने के स्थान पर किया जाएगा।

(ii) क्षेत्र "ग" किसी कार्यालय को संबोधित है वहां, उनका दूसरी भाषा में अनुवाद, उनके साथ भेजा जाएगा।

परंतु यह और कि यदि कोई पत्रादि किसी अधिसूचित कार्यालय को संबोधित है तो दूसरी भाषा में ऐसा अनुवाद उपलब्ध कराने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

**5. हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर** - नियम 3 और नियम 4 में किसी बात के होते हुए भी, हिंदी में पत्रादि उत्तर केंद्रीय सरकार के कार्यालय से हिंदी में दिए जाएंगे।

**6. हिंदी और अँग्रेजी दोनों का प्रयोग** - अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिंदी और अँग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाएगा और ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि ऐसी दस्तावेजें हिंदी और अँग्रेजी दोनों ही में तैयार की जाती हैं, निष्पादित की जाती हैं और जारी की जाती हैं।

**7. आवेदन, अभ्यावेदन आदि -**

(1) कोई कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी या अँग्रेजी में कर सकता है।

(2) जब उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी में किया गया हो या उस पर हिंदी में हस्ताक्षर किए गए हों तब उसका उत्तर हिंदी में दिया जाएगा।

(3) यदि कोई कर्मचारी यह चाहता है कि सेवा संबंधी विषयों (जिनके अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाहियाँ भी हैं) से संबंधित कोई आदेश या सूचना, जिनका कर्मचारी पर तामिल किया जाना अपेक्षित है, यथास्थिति, हिंदी या अँग्रेजी में होनी चाहिए तो वह उसे असम्यक विलंब के बिना उसी भाषा में दी जाएगी।

**8. केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पणों का लिखा जाना -**

(1) कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पण या कार्यवृत्त हिंदी या अँग्रेजी में लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करें।

(2) केंद्रीय सरकार को कोई भी कर्मचारी, जो हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखता है, हिंदी में किसी दस्तावेज के अँग्रेजी अनुवाद की माँग तभी कर सकता है, जब वह दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है, अन्यथा नहीं।
(3) यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विशिष्ट दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है या नहीं तो विभाग या कार्यालय का प्रधान उसका विनिश्चय करेगा।
(4) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा ऐसे अधिसूचित कार्यालयों को विनिर्दिष्ट कर सकती है जहाँ ऐसे कर्मचारियों द्वारा, जिन्हें हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है, टिप्पण, प्रारूपण और ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, केवल हिंदी का प्रयोग किया जाएगा।

**9. हिंदी में प्रवीणता** - यदि किसी कर्मचारी ने-
(क) मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है : या
(ख) स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा की समतुल्य या उसमें उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया था : या
(ग) यदि वह इन नियमों के उपाबद्ध प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है :
तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है।

**10. हिंदी का कार्यासाधक ज्ञान** - (1) (क) यदि किसी कर्मचारी ने -
(i) मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है; या
(ii) केंद्रीय सरकार की हिंदी परीक्षा योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या, यदि उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के संबंध में उस योजना के अंतर्गत कोई निम्नतर परीक्षा विनिर्दिष्ट है, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है : या
(iii) केंद्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है : या
(ख) यदि वह इन नियमों से उपबद्ध प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है; तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिंदी का कार्यसाधक प्राप्त कर लिया है।
(2) यदि केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारी में से अस्सी प्रतिशत ने हिंदी का ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उस कार्यालय के कर्मचारियों के बारे में सामान्यतया यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।
(3) केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी यह अवधारित कर सकता है कि केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय के कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है या नहीं।
(4) केंद्रीय सरकार के जिन कार्यालयों में कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएँगे :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार की राय है कि किसी अधिसूचित कार्यालय में काम करने वाले और हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत किसी तारीख में उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रतिशत से कम हो गया है, तो वह; राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि उक्त कार्यालय उस तारीख से अधिसूचित कार्यालय नहीं रह जाएगा।

**11. मैनुअल, संहिताएं, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, लेखन सामग्री आदि -**

(1) केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, हिंदी और अँग्रेजी में द्विभाषिक रूप में यथास्थिति, मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा।

(2) केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्ररूप और शीर्षक हिंदी और अँग्रेजी में होंगे।

(3) केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचनापट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें हिंदी और अँग्रेजी में लिखी जाएंगी, मुद्रित या उत्कीर्ण होंगी :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा, केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय को इस नियम के सभी या किन्हीं उपबंधों से छूट दे सकती है।

**12. अनुपालन का उत्तरदायित्व -**

(1) केंद्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह- (i) यह सुनिश्चित करें कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों और उपनियम (2) के अधीन जारी किए गए निदेशों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है; और

(ii) इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच के लिए उपाय करें।

(2) केंद्रीय सरकार अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के सम्यक अनुपालन के लिए अपने कर्मचारियों और कार्यालयों को समय-समय पर आवश्यक निदेश जारी कर सकती है।

**प्रारूप**

(नियम 9 और 10 देखिए)

मैं इसके द्वारा यह घोषणा करता/करती हूं कि निम्नलिखित के आधार पर ***मुझे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है/मैंने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

तारीख : हस्ताक्षर :

---

* [भारत के 17-07-1976 के राजपत्र के भाग-1, खंड-3, उपखंड (1) में प्रकाशित]

** राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) संशोधन नियम, 1987 सं. 1/14034/10/87-रा.भा.(क-1), दिनाँक 9-10-1987।[21]

*** जो लागू न होता हो, उसे कृपया काट दीजिए।

---

## 2.2 राजभाषा संबंधी दायित्वों के निर्वाह में सहायक कंप्यूटर

कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में "कंप्यूटर" संपर्क भाषा के प्रयोग का अनिवार्य ही नहीं बल्कि अपरिहार्य माध्यम बनता जा रहा है।

आने वाली शताब्दी में जब अकेले जीना मुश्किल होगा, तब के लिए हम आज से ही हिंदी के प्रयोग के विस्तार के लिए हाथ-पैर मारें। शरतचंद्र ने अपने एक उपन्यास में भारत की भाषाओं को बढावा देने के लिए गाय के खूँटे की रस्सी को दस से बीस हाथ बढाने की उपमा को अपनाने की सलाह दी थी।[22]

ज्ञान किसी भाषा का तो नहीं होता। सभी भाषाएँ उसकी वाहिकाएँ हैं। नए आविष्कारों और नए अनुसंधानों के लिए मौलिक चिंतन और विवेचन की क्षमता चाहिए। वही समाज आविष्कारों एवं नवीन खोजों को करने में अग्रणी रह सकता है, जो स्वतंत्रतापूर्वक अपनी भाषा में सहजता से सोच-विचार कर सकता है।[23]

दीर्घ समय तक भारत में आम धारणा रही है कि कंप्यूटरों में केवल रोमन लिपि का ही प्रयोग संभव है।[24]

कंप्यूटर का नाम सुनते ही मान लिया जाता था कि उस पर होने वाला काम अँग्रेजी में ही होगा।[25]

विज्ञान की प्रगति के कारण अनेक ऐसे यंत्र बनते जा रहे हैं जिनको अपनाए बिना प्रशासनिक अथवा तकनीकी क्षेत्रों में कठिनाई अनुभव होती है। वे यंत्र यदि अँग्रेजी काम के लिए ही उपलब्ध हों और उनमें देवनागरी लिपि का प्रयोग संभव न हो तो उससे हिंदी की प्रगति में निश्चित रूप से बाधा पड़ती है। देखा गया है कि भारत में अनेक नए यंत्र पहले रोमन लिपि में आते हैं और बाद में ऐसे यंत्रों में देवनागरी लिपि के प्रयोग की संभावना की बात सोची जाती है।[26]

कई मामलों में हिंदी पत्रों के विकास अथवा उत्पादन में न सरकारी संगठन रुचि लेते हैं और न कोई प्राइवेट कंपनियाँ।[27]

यदि हम राजभाषा के रूप में हिंदी की प्रगति चाहते हैं तो तकनीकी आवश्यकताओं की ओर गंभीरतापूर्वक ध्यान देना होगा, अन्यथा अँग्रेजी की एक और नई मशीन आ जाने से हमारी वर्षों की मेहनत पर पानी फिर जाता है और जो काम काफी परिश्रम करने के फलस्वरूप हिंदी में आरंभ हुए होते हैं वे फिर अँग्रेजी में होने लगते हैं।[28]

## 2.3 हिंदी कंप्यूटर संबंधी सांविधिक व्यवस्था

संविधान बनाए जाते समय भारत में विज्ञान का विकास अपेक्षाकृत कम हुआ था तथा इस क्षेत्र में हिंदी में किए जाने वाले कार्य भी न के बराबर ही थे। अत: विज्ञान को आधार बना कर पृथक रूप से किसी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया जैसा कि विधि जैसे क्षेत्रों

के मामले में किया गया था। इसके अलावा संविधान या विधि के निर्माता सामान्यतः विज्ञान के जानकार नहीं होते हैं। ऐसे में तत्संबंधी प्रावधानों को बनाया जाना संभव भी नहीं था। फिर भी संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 344(3) में कहा गया है कि राष्ट्रपति के आदेश के तहत गठित आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्यायसंगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा।

संविधान के प्रावधानों के अनुपालन के क्रम में राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश, 1960 में विज्ञान और तकनीकी शब्दावली बनाए जाने के लिए स्थाई आयोग गठित किए जाने के विषय में कहा गया है। इसी प्रकार 1988 में संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के प्रथम खंड पर जारी संकल्प मद क्रमाँक 19 में कहा गया है कि सरकारी स्तर पर हिंदी में वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों पर अधिकाधिक पुस्तकें लिखी जाएँ। संकल्प मद क्रमाँक 21 में विश्व की अन्य भाषाओं में उपलब्ध ज्ञान-विज्ञान का अनुवाद हिंदी में किए जाने पर बल दिया गया है। संकल्प मद क्रमाँक 22 में आवश्यकतानुसार विभिन्न वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों की शब्दावली, परिभाषाकोश, विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकें, संदर्भ ग्रंथ और संपूरक साहित्य का सृजन किए जाने की चर्चा के साथ-साथ कहा गया है कि "हिंदी में उपलब्ध वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान का प्रयोग शिक्षा तथा प्रशासन के कार्यों में किया जाए।" संकल्प मद क्रमाँक 25 में कहा गया है कि केंद्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों में अनुवाद व्यवस्था के सुचारु संचालन के लिए शब्दावलियों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के संदर्भ तथा सहायक साहित्य के निर्माण की प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए। इसके लिए आवश्यकतानुसार दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजनाएँ तैयार की जानी चाहिए। ऐसे साहित्य का समुचित रूप से वितरण किया जाना चाहिए एवं कार्यालयों द्वारा प्रयोग भी होना चाहिए।

भारत सरकार के राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) ने अपने प्रकाशन **"देवनागरी में यांत्रिक और इलैक्ट्रॉनिक सुविधाएँ"** (12वाँ संस्करण जनवरी, 1999) के "यांत्रिक सुविधाएँ और राजभाषा नीति" अध्याय (पृ.1 से 6 तक) में इस संबंध में जारी आदेशों का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया है :

**कंप्यूटर**

- कंप्यूटर प्रणालियां केवल द्विभाषिक रूप में खरीदी जाएँ।
- किसी कंप्यूटर को द्विभाषिक तभी माना जाएगा जबकि उसमें अंग्रेजी के साथ हिंदी में डाटा एंट्री की व्यवस्था हो, स्क्रीन पर इच्छानुसार अंग्रेजी अथवा हिंदी में लिखा जा सके तथा कंप्यूटर से तैयार होने वाली सामग्री इच्छानुसार अंग्रेजी या हिंदी में प्रिंट हो सके।
- इन आदेशों में किसी कारणवश ढील की आवश्यकता होने पर प्रस्ताव संबंधित विभाग द्वारा इलैक्ट्रॉनिकी विभाग से परामर्श लेने के पश्चात राजभाषा विभाग को भेजें। इलैक्ट्रॉनिकी विभाग को यह प्रमाणित करना होगा कि जो उपकरण खरीदे जा रहे हैं उसे

द्विभाषी बनाना संभव नहीं है और उसकी जगह किसी ऐसे उपकरण से काम नहीं चलाया जा सकता जो द्विभाषिक उपलब्ध है।

- यह आदेश लीज पर लिए गए कंप्यूटरों अथवा आयातित कंप्यूटरों पर भी पूरी तरह लागू होते हैं।

{दिनाँक 30.05.1985 का.ज्ञा. सं. 12015/12/84/रा.भा. (ख-1) और इस संबंध में अतिरिक्त स्पष्टीकरण दिनाँक 31.08.1987 का.ज्ञा.सं. 12015/12/84/रा.भा. (त.क.)}

- केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में लगाए गए सभी पर्सनल कंप्यूटरों पर द्विभाषिक शब्द संसाधक पैकेज उपलब्ध कराए जाएं।

{दिनाँक 14.01.1998 का.ज्ञा.सं. 12015/12/84/रा.भा. (त.क.)}

- वर्तमान कंप्यूटरों में 'जिस्ट' तकनीक का इस्तेमाल करके देवनागरी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाए।

- जिन कंप्यूटरों पर तकीनीकी कारणों से हिंदी की सुविधा प्रदान नहीं की जा सकती उन्हें नवीनतम द्विभाषिक मशीनों से बदल दिया जाए।

- द्विभाषिक कंप्यूटर आदि की खरीद के लिए प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के प्रशासनिक प्रभाग को जाँच बिंदु बना दिया गया है।

{दिनाँक 25.05.1990 का.ज्ञा.सं. 12015/18/90/रा.भा. (त.क.)}

- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, प्रशिक्षण प्रभाग, ए-ब्लॉक, सी.जी.ओ. कांप्लैक्स, नई दिल्ली - 110003 द्वारा कंप्यूटरों के द्विभाषिक (जिस्ट आधारित) प्रयोग के लिए उपलब्ध कराई गई प्रशिक्षण की सुविधा का लाभ उठाएँ। द्विभाषिक सॉफ्टवेयर की खरीद के समय प्रत्येक कार्यालय को, अन्य के अतिरिक्त, अपने एक ऐसे कर्मचारी को इस सॉफ्टवेयर के प्रयोग का प्रशिक्षण अवश्य दिलवाना चाहिए जो कि बाद में अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षित करा सके।

{दिनाँक 12.08.1991 का.ज्ञा.सं. 12015/42/90/रा.भा. (त.क.)}

- सभी केंद्रीय सरकार के कार्यालय बाजार में उपलब्ध विभिन्न द्विभाषी सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर में से उपयुक्त सुविधा का चयन कर तुरंत उसका प्रयोग राजभाषा नियमों के अनुसार कार्य करने के लिए करें।

{दिनाँक 15.10.1992 का.ज्ञा.सं. 12015/26/92/रा.भा. (त.क.)}

- शब्द संसाधन, डाटा संसाधन अथवा दोनों, जो भी कार्य कंप्यूटर पर हो रहा है, उसे राजभाषा नियमों के अनुसार हिंदी अथवा हिंदी/अँग्रेजी में करने की क्षमता यदि किसी सॉफ्टवेयर अथवा हार्डवेयर (जिस्ट कार्ड/जिस्ट टर्मिनल) दोनों के मिले-जुले उपायों से प्राप्त की हो ऐसे कंप्यूटर को द्विभाषी क्षमता युक्त माना जाएगा।

{दिनाँक 1.12.1994 का.ज्ञा.सं. 12015/41/93/रा.भा. (त.क.)}

- राजभाषा हिंदी पखवाडे/मास के दौरान कंप्यूटर पर अधिक से अधिक कार्य हिंदी में किया जाए। {दिनाँक 28.10.1994 का.ज्ञा.सं. 12015/44/94/रा.भा. (त.क.)}

यदि आपका विभाग कंप्यूटर पर प्रशिक्षण दे रहा है अथवा अन्य संस्थाओं/विभागों को कंप्यूटर पर प्रशिक्षण के लिए सहायता एवं प्रोत्साहन देता है, तो यह आवश्यक है कि ऐसे प्रशिक्षण हिंदी में भी दिए जाएँ। {दिनाँक 12.03.96 का.ज्ञा.सं. 12015/43/95/रा.भा. (त.क.)}

कंप्यूटरीकरण के फलस्वरूप हिंदी में अपेक्षित कार्य व्यवहार में कमी न आए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि वांछित सॉफ्टवेयर द्विभाषी (हिंदी-अंग्रेजी) अवश्य निर्मित करवाया जाए। {दिनाँक 28.06.96 का.ज्ञा.सं. 12015/31/96/रा.भा. (त.क.)}

## द्विभाषिक इलैक्ट्रॉनिक उपकरण

- इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों के केवल द्विभाषिक रूप में खरीद के आदेश केंद्रीय सरकार के उन सभी कार्यालयों पर लागू होंगे जिन पर राजभाषा नियम तथा राजभाषा नीति लागू होती है।
- राजभाषा नियमों के अनुसार इनका प्रयोग हिंदी में अथवा द्विभाषिक रूप में कार्य करने के लिए किया जाना चाहिए।

{दिनाँक 30.05.1985 का.ज्ञा.सं. 12015/12/84/रा.भा. (ख-1) और इस संबंध में अतिरिक्त स्पष्टीकरण दिनाँक 31.08.1987 का.ज्ञा.सं.12015/12/84-रा.भा. (त.क.)}

- केवल रोमन लिपि में कार्य करने वाला कोई भी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण राजभाषा विभाग की पूर्वानुमति के बिना न खरीदा जाए।
- केवल वही उपकरण खरीदे जाएँ जिनके कुंजीपटलों पर सभी अक्षर/आदेश द्विभाषिक रूप में दिए गए हों।
- "क" और "ख" क्षेत्रों में जहाँ द्विभाषिक उपकरण लगाए गए हैं, राजभाषा संबंधी नियमों के अनुसार उनका मुख्यत: हिंदी में ही काम करने के लिए प्रयोग किया जाए।
- इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करवाने की जिम्मेदारी, राजभाषा नियम 12 के अंतर्गत विभागाध्यक्षों की होगी। {दिनाँक 25.05.90 का.ज्ञा.सं. 12015/18/90/रा.भा. (त.क.)}

केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों के ए.सी.आर. में आधुनिक इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों के ज्ञान के संबंध में प्रविष्टि - इसमें अधिकारी के देवनागरी लिपि वाले आधुनिक कार्यालयीन उपकरणों के संबंध में रुझान/ज्ञान, उनके प्रयोजन में विस्तार एवं सुधार तथा अन्यों को उनके प्रति प्रेरित करने की दिशा में किए गए प्रयासों का ब्यौरा दें। {दिनाँक 13.03.96 का.ज्ञा.सं. 8/1/96/रा.भा. (से.)}

सभी इलैक्ट्रॉनिक सरकारी उपकरणों अर्थात टाइपराइटरों, इलैक्ट्रॉनिक टाइपराइटरों, कंप्यूटरों, निजी कंप्यूटरों अथवा इस प्रकार के अन्य सरकारी उपकरणों की खरीद राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियमावली, 1976 में निहित प्रावधानों और राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर इनके तहत जारी आदेशों के अनुसार होनी चाहिए। {दिनाँक 14.05.1996 का.ज्ञा.सं. 1(25)-संस्था-11 (क.)/95} [29]

कुल मिला कर,यद्यपि हिंदी सॉफ्टवेयर तैयार करने में किसी की रुचि नहीं है, फिर भी हिंदी की स्थिति कंप्यूटर के मामले में शून्य नहीं है। इसका एक कारण हिंदी का राजभाषा होना भी है क्योंकि राजभाषा के लिए किए गए सांविधिक प्रावधानों के तहत ही कंप्यूटर संबंधी हिंदी आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास किए गए। इसीलिए

विद्यानिवास मिश्र की मान्यता है - "शिक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय दोनों ने जो कुछ किया, वह उपेक्षणीय नहीं है। हिंदी में काम करने के लिए उन्होंने एक बड़ा साँचा तैयार किया। XXX आनुष्ठानिक रूप से ही सही, हिंदी का प्रयोग हुआ है।" [30]

राय अवधेश कुमार श्रीवास्तव का मत है कि - "हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के विकास हेतु हमें केवल सरकारी प्रयासों या अनुदानों के भरोसे चलने की आदत छोड़नी होगी। XXX हिंदी को ज्ञान, सूचना प्रवाह तथा तकनीकी विकास की नई धुरी बनानी होगी। इसे इक्कीसवीं सदी की गति देनी होगी। हमें अपनी आज की गुटबाजी, झूठे दर्प, अकर्मण्यता तथा अपने मुँह मिट्ठू बनने से बचना होगा। संविधान के संकल्प तथा सपने तभी साकार होंगे।" [31]

# 2.4 अध्याय 2 की संदर्भ सूची


**2.1**

1. हिंदी और हम, विद्यानिवास मिश्र, पृ. 118
2. हिंदी और हम, विद्यानिवास मिश्र, पृ. 119
3. हिंदी भाषा-विकास और स्वरूप, कैलाश चंद्र भाटिया और मोतीलाल चतुर्वेदी, पृ. 144
4. हिंदी का सामान्य ज्ञान-2, डॉ. हरदेव बाहरी, पृ. 143
5. हिंदी भाषा - विकास और स्वरूप, कैलाश चंद्र भाटिया और मोतीलाल चतुर्वेदी, पृ. 140
6. हिंदी भाषा - विकास और स्वरूप, कैलाश चंद्र भाटिया और मोतीलाल चतुर्वेदी, पृ. 140
7. हिंदी भाषा - विकास और स्वरूप, कैलाश चंद्र भाटिया और मोतीलाल चतुर्वेदी, पृ. 141
8. हिंदी भाषा - विकास और स्वरूप, कैलाश चंद्र भाटिया और मोतीलाल चतुर्वेदी, पृ. 145
9. हिंदी भाषा - विकास और स्वरूप, कैलाश चंद्र भाटिया और मोतीलाल चतुर्वेदी, पृ. 145-146
10. हिंदी भाषा - विकास और स्वरूप, कैलाश चंद्र भाटिया और मोतीलाल चतुर्वेदी, पृ. 149
11. हिंदी भाषा - विकास और स्वरूप, कैलाश चंद्र भाटिया और मोतीलाल चतुर्वेदी, पृ. 150-151
12. हिंदी भाषा - विकास और स्वरूप, कैलाश चंद्र भाटिया और मोतीलाल चतुर्वेदी, पृ. 151
13. हिंदी भाषा - विकास और स्वरूप, पृष्ठ 152
14. राजभाषा हिंदी संघर्षों के बीच, हरिबाबू कंसल, पृष्ठ-39
15. राजभाषा हिंदी संघर्षों के बीच, हरिबाबू कंसल, पृष्ठ-39
16. राजभाषा हिंदी संघर्षों के बीच, पृष्ठ-40
17. राजभाषा हिंदी संघर्षों के बीच, पृष्ठ-40
18. राजभाषा हिंदी संघर्षों के बीच, पृष्ठ-41
19. राजभाषा हिंदी संघर्षों के बीच, पृष्ठ-42
20. भारतीय संविधान
21. राजभाषा हिंदी के प्रयोग संबंधी नियम पुस्तक, राजभाषा विभाग, पृ. 99-105

**2.2**

22. हिंदी और हम, विद्यानिवास मिश्र, पृ. 20
23. हिंदी और हम, विद्यानिवास मिश्र, पृ. 16-17
24. राजभाषा हिंदी : संघर्षों के बीच, हरि बाबू कंसल, पृ. 264
25. राजभाषा हिंदी : संघर्षों के बीच, हरि बाबू कंसल, पृ. 271
26. राजभाषा हिंदी : संघर्षों के बीच, हरि बाबू कंसल, पृ.275
27. राजभाषा हिंदी : संघर्षों के बीच, हरि बाबू कंसल, पृ.275
28. राजभाषा हिंदी : संघर्षों के बीच, हरि बाबू कंसल, पृ.275

**2.3**

29. विज्ञान के क्षेत्र में राजभाषा संबंधी सांविधिक व्यवस्था, रश्मि वार्ष्णेय
    [ संविधान समीक्षा के संदर्भ में राजभाषा समीक्षा ,भारी पानी संयंत्र, बड़ौदा]
30. हिंदी और हम, पृष्ठ 121
31. सूचना प्रौद्योगिकी : भारतीय भाषाओं के लिए एक चुनौती, राय अवधेश कुमार श्रीवास्तव [ पत्रिका साहित्य अमृत, सितंबर, 2000, पृ.44-45 में प्रकाशित]

Comp&OL.DOC